

समाहरणालय हजारीबाग

(समाज कल्याण शाखा)

निविदा सूचना

हजारीबाग जिल्लातमो विभिन्न प्रकलयो मे नि अगत व्यक्तियो को अधिक अंग/उपकरण मुहैया कराने हेतु निम्न प्रकार के अंग/उपकरण क्रय हेतु प्रविष्टत आवुक्तिताओं से दर निर्दिष्ट क्रय आमन्त्रित को जतौ है :

क्र. विशेष बंत्र/उपकरण का नाम

- 1 ट्राई साइकिल धारक
- 2 ट्राई साइकिल बच्चा
- 3 डील वेयर (जन्को)
- 4 डील वेयर (शाठम)
- 5 डील वेयर (छेदा)
- 6 इन्साइड रिटडा
- 7 बाण वृत्र
- 8 बाकिग रिटडा
- 9 के एफ.ओ. कैलिबर्स ब्यरक
- 10 के.एफ.ओ. कैलिबर्स माध्यम
- 11 के एफ.ओ. कैलिबर्स छेट्टा
- 12 सर्जिकल शु- धारक

क्र. विशेष बंत्र/उपकरण का नाम

- 13 सर्जिकल शु- माध्यम
- 14 सर्जिकल शु- छेट्टा
- 15 पैनाखी- धारक
- 16 पैनाखी- माध्यम
- 17 पैनाखी- छेट्टा
- 18 सीपीए धारक
- 19 बिस्ती नै प्रोस्वोसिस
- 20 एरम नै प्रोस्वोसिस
- 21 बिस्ती एरम प्रोस्वोसिस
- 22 एरम एरम प्रोस्वोसिस
- 23 स्पाइन सर्गेट
- 24 फोक अप स्पोलीन्ट

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे मे निविदा लिखा समाज कल्याण प्रदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय मे दिनांक- 10.02.2012 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक जमा करेगा। दिनांक- 10.02.2012 को 03:00 बजे अपराह्न मे उपर्युक्त, हजारीबाग की उपस्थित मे सतिर जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

निविदा की शर्त -

1. निविदादाता को निविदा के साथ रु०,०००/- (तीस हजार) रुपये का आश्वासन के रूप मे बैंक ड्राफ्ट/कटौत बचत प्रमाण-पत्र जिला-समाज कल्याण प्रदाधिकारी, हजारीबाग के पटनाम से संलग्न करना होगा।
2. सामगियों का अर्थ/एकता अर्थ/द्वारा मानका प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
3. निविदादाता को प्रतिशत का अंगुणकर, विभिन्न उपकरण का अंगुणप्रति स्तरा करना होगा एवं अखतन आयाकर एवं विभिन्न स्वच्छता प्रमाण पत्र/अनामति प्रमाण पत्र को कला प्रति संलग्न करना होगा।
4. क्रय समिति के समक्ष निविदा का अंगुण/अंगुण का समुचित करना अनिवार्य होगा। बिना समुचित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सामगियों की आवुक्ति रीति/काल के अनुसार जितने के प्रकृत-मुहयोजन मे आवुक्ति अन्देश निर्गत करने के 15 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई प्रतिशत एवं अखतन व्यय देना नहीं होगा।
6. आवुक्तिता को किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. आवुक्ति किये जाने कावे समय का समुचित जिला समाज कल्याण, हजारीबाग के कार्यालय से जमा करना होगा।
8. निविदा मे जोखिम/अखतन सर्जित सभी प्रकार के कार को सम्भिलित कर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. आवुक्ति की माते सामगियों का अंगुणका उतम होने का शर्त। यदि आवुक्ति की कई सामगियों मे एक साल के अन्दर कोई खराबी अती है तो उसकी मरम्मत/रख-रखाव को नारो जलबन्धी आवुक्तिकर्ता को होगी। जिसके लिए उन्हे अलग से कोई नति देना नहीं होगी।
10. स्की की एवं खरब सामगियों की आवुक्ति रीति/अर्थ नहीं होगी। ऐसा करने पर नियम संगत कारवाई की जायेगी।
11. स्की/नति निर्देशित प्रतिक्रम को जिला समाज कल्याण प्रदाधिकारी, हजारीबाग के साथ एकत्र करना करना होगा।
12. किसी भी निविदा को अंगुण एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने वा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा। सर्जित निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।